भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 31

सोमवार, 18 जुलाई, 2016/27 आषाढ़, 1938 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना

31. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के असंगठित क्षेत्रों में लगे कामगारों के लिए सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना/नई पेंशन योजना लागू की गई है/की जानी प्रस्तावित हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत इसके आरंभ से नामांकित लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और
(ग) सरकार द्वारा इस योजना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और इसके अंतर्गत असंगठित कामगारों को और अधिक संख्या में नामांकित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): भारत सरकार ने दिनांक 22 दिसम्बर,2003 की अधिसूचना के माध्यम से 1 जनवरी,2004 से प्रभावी एक नई पेंशन पद्धति, जिसे अब "राष्ट्रीय पेंशन पद्धति" (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है, को क्रियान्वित किया है जो सैन्य बलों को छोड़कर केन्द्रीय सरकारी सेवा के नये प्रवेशकों के लिए लागू है। सरकार द्वारा स्वावलम्बन योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई जिसमें अन्य के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र शामिल है। इन योजनाओं के विवरण निम्नवत हैं:

- स्वावलम्बन योजना: स्वावलम्बन योजना की घोषणा वर्ष 2010-11 के बजट में की गई थी ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए दीर्घायु तक जोखिम को सम्मिलितकिया जा सके और उन कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत हेतु प्रोत्साहन दिया जा सके। यह योजना मौजूदा एनपीएस संरचना के माध्यम से प्रचालित की गई थी जिसमें अंशदाताओं की प्रविष्टि संयोजकों के माध्यम से होती थी अर्थात पीएफआरडीए से पंजीकृत तथा जमीन से जुड़े माध्यस्थों का एक समूह जो एनपीएस संरचना के तहत अंशदायी अंशदाता अंतरपृष्ठ (इंटरफेस) रुप में कार्य करता है। इस योजना के तहत एक अंशदाता 1000/- रुपये से 12000/- रुपये तक अंशदान करने वाले अंशदाता सरकार से प्रतिमाह 1000/- रुपये प्राप्त करेंगे। वर्ष 2015 में अटल पेंशन योजना आरंभ होने के परिणामस्वरुप इस योजना के तहत नये पंजीकरण 01.04.2015 से रोक दिए गए हैं।

- अटल पेंशन योजना (एपीवाई): मई,2015 में भारत सरकार द्वारा एपीवाई आरंभ की गई ताकि अंशदान एवं अवधि पर आधारित एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत 1जून,2015 से अंशदाताओं का पंजीकरण आरंभ हो गया है। एपीवाई के अंतर्गत अंशदाता 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000/- रुपये से 5000/- रुपये प्रतिमाह तक कीनिर्धारित न्यूनतम पेंशन प्राप्त

करेंगे जो उनके अंशदान एवं एपीवाई में शामिल होने की आयु पर निर्धारित होगी। अटल पेंशन योजना सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है। केन्द्रीय सरकार 1जून, 2015 और 31 मार्च,2016 के बीच की अवधि के बीच एपीवाई में शामिल होने वाले तथा किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा स्कीम की सदस्यता न रखने वाले तथा आयकर भुगतान न करने वाले अंशदाता के खाते में 5 वर्ष की अवधि तक अर्थात 2015-16 से 2019-20 तक कुल अंशदान का 50 प्रतिशत या 1000 रुपये प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, का सह-अंशदान भी देगी।

योजना का नाम	12-07-2016 की स्थिति के अनुसार कुल अंशदाताओं की संख्या
स्वावलंबन योजना	42.84 लाख
अटल पेंशन योजना	30.25 लाख

पिछले दो वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के लिए स्वावलंबन योजना के संबंध में बजटीय प्रावधान निम्नवत है:

वित्तीय वर्ष	बजटीय अनुमान	संशोधित अनुमान
2014-15	195.00 करोड़ रुपये	195.00 करोड़ रुपये
2015-16	581.90 करोड़ रुपये	308.00 करोड़ रुपये
2016-17	209.00 करोड़ रुपये	अभी प्रस्तावित किया जाना है

पिछले दो वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के लिए स्वावलंबन योजना के संबंध में बजटीय प्रावधान निम्नवत है:

वित्तीय वर्ष	बजटीय अनुमान	संशोधित अनुमान
2015-16	बजट 2015-16 में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया था	173.00 करोड़ रुपये
2016-17	200.00 करोड़ रुपये	अभी प्रस्तावित किया जाना है

(ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्वावलंबन योजना को अटल पेंशन योजना से प्रतिस्थापित किया गया है और 1 अप्रैल, 2015 स्वावलंबन योजना के तहत नये नामांकन रोक दिये गये हैं।

अटल पेंशन योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

- जनसंपर्क अभियानों एवं राज्य सरकारों तथा राज्य स्तरीय बैंक समितियों के प्रतिनिधियों के साथ टाऊन हॉल बैठकों के आयोजन के माध्यम से जागरुकता सृजन करना ताकि लक्षित व्यावसायिक समूहों एवं अन्य भावी अंशदाताओं को समूहबद्ध किया जा सके।
- अंशदाताओं को यह सुविधा प्रदान करना कि वे अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक, त्रैमासिक अथवा छः मासिकआधार पर अंशदान कर सकें जिससे अंशदाताओं की मौसमी अथवा अनियमित आय यथा कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र में होने के बावजूद वे इसमें प्रतिभागिता कर सकें।
- अटल पेंशन योजना के तहत अंशदाताओं को 60 वर्ष की आयु के पूर्व स्वैच्छिक पूर्वावधि निकास की अनुमति देना।
- नामांकन अभिकरणों यथा बैंकों, डाकघरों तथा व्यवसायी संवाददाताओं के लिए क्षमता निर्माण।

*****